उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्याः15/2019/सा-3-309/दस-301(9)/2003

लखनऊ : दिनाँक : 10 अप्रैल 2019

अधिसूचना

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या- 23ए सन 2013 की धारा 20 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 01 अप्रैल 2005 से अधिसूचना संख्या-सा-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च 2005 में उल्लिखित समस्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को विस्तारित करते हैं और यह निदेश देते हैं कि यथा संशोधित उक्त अधिसूचना उक्त धारा 12(4) के अधीन अधिसूचित की गयी समझी जाएगी।

आज्ञा से

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 15/2019/ Sa-3-309 /X-2019-301(9)/ 2003 dated April 10, 2019

Uttar Pradesh Shasan
Vitta (Samanya) Anubhag-3

NOTIFICATION

No.15/2019/ G-3-309/X-2019-301(9)/ 2003
Lucknow : Dated : April 10, 2019

In exercise of the powers under sub-section (4) of section 12 read with sub-section (1) of section 20 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No. 23 of 2013) the Governor is pleased to extend National Pension System to all the employees mentioned in notification No. G-3-379/X-2005-301(9)-2003 dated March 28, 2005 with effect from 1st April, 2005 and to direct that the said notification as amended shall be deemed to have been notified under the said section 12(4).

By order
Sanjiv Mittal
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।